न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 92/23 (वाद)

GCMS No. : 2023/324

अनवान

1. श्री नवला पिता स्व. श्री मीयाचन्द जी चमार निवासी बांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.................वादी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता स्व. श्री गेहरीलाल जी नागदा निवासी बांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.................प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.

— : : निर्णय : : —

दिनांक : 12.09.2024

1. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.का पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में एक वाद विपक्षी द्वारा उपरोक्त दिनांक 24.08.1994 को पेश किया गया जिसका अनवान उदेलाल बनाम वरदा व अन्य तथा प्रकरण संख्या 287/1994 वाद दर्ज किया गया था। उक्त अनवान के प्रकरण का निर्णय दिनांक 21.10.1994 को किया गया अर्थात वाद पेश करने के मात्र 2 माह के अन्दर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। उक्त अनवान के प्रकरण में मूल वाद में प्रार्थी नवलराम विपक्षी संख्या 2 था जिस पर सम्मन की तामील भी नहीं हुई तथा विपक्षी संख्या 2 ने अपनी ओर से किसी वकील को भी नियुक्त नहीं किया था। उक्त प्रकरण में वादी उदयलाल नागदा जो स्वर्ण कास्ट का है उसके द्वारा एक नुमायसी लिखापढी के आधार घोषणा का वाद पेश किया था जिसमें उसने प्रतिवादी जो की चमार जाति के है उनकी जमीन लिखापढी के आधार पर अपने नाम से रेकर्ड में दर्ज करवाने का वाद पेश किया प्रार्थी द्वारा उक्त लिखापढी की प्रमाणित प्रति [illegible] का आवेदन किया जो पता चला की उक्त असल लिखापढी पत्रावली में [illegible] उसकी प्रमाणित प्रति या प्रदर्शत प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं [illegible] उक्त प्रति की कॉपी [illegible] मिल पाई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:14 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वादी ने जो वाद नुमाईसी लिखापढी के आधार पर पेश किया वह मामला वास्तव में ऐसी की जमीन को स्वर्ण के नाम दर्ज करवाने का था जो कानूनन सम्भव नहीं है तथा लिखापढी की पालना का वाद भी माननीय उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई का क्षेत्राधिकार

नही है। उक्त प्रकरण की जानकारी प्रार्थी को नही थी और नही कोर्ट द्वारा उस [illegible] मिली थी। न्यायालय की आडर रिट निकलवाने पर पता चला की प्रापर तामिल [illegible] मे जारी ही नही हुई थी उक्त वाद के निरस्तारण की जानकारी प्रार्थी को दिनांक [illegible] को प्रथम बार तब हुई जब उदयलाल ने उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी एवं अपनी जमीन बताई तो प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी देखी और [illegible] उपखण्ड कार्यालय वल्लभनगर से दिनांक 06.10.2023 को प्रार्थी नकल निकलवाने का [illegible] किया जिसकी प्रति दिनांक 10.10.2023 को प्रार्थी को प्रथम बार मिलने से उक्त [illegible] डिक्री की जानकारी प्रार्थी को हुई।उक्त अनवान के मुल वाद में प्रार्थी के विरुद्ध [illegible] सम्मन तामील हुए ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक तरफा कार्रुवाही हुई है [illegible] को सुनकर दोतरफा कार्यवाही का आदेश देकर मुल प्रकरण में प्रार्थी को सुने। [illegible] पत्र स्वीकार कर डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में [illegible] संख्या 1 द्वारा प्रारंभिक आपत्तियाँ व जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस [illegible] है कि माननीय न्यायलय उप जिला कलेक्टर वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 287/1994 वाद निर्णय दिनांक 21.10.1994 को अपास्त करने बावत् वर्तमान प्रार्थना पत्र 29 वर्षों [illegible] किया, जो अवधि पार होने से इस बिनाय पर खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर विक्रय [illegible] दिनांक 14.03.1955 से कब्जा विपक्षी उदयलाल का खरीद से है, जिससे भी कब्जे के [illegible] में तथा वाद/निर्णय का भली भांति ज्ञान विपक्षी एवं उसके परिवाजन, माता एवं भाई [illegible] भली भांति है, क्योंकि यह भूमि इनके पिता/पति मियाचंद और वरदाजी ने विक्रय कर [illegible] सिपुर्द कर दिया था, जिससे भी प्रार्थना पत्र खारिज पत्र खारिज योग्य हैं। वाद [illegible] 287/1994 में वादी/ विपक्षी नें वाद सर्व श्री वरदा पिता हिरा, श्री नवला पिता मियाचंद [illegible] डालु पिता मियाचंद, श्री भेरू पिता मियाचंद, श्री छगन पिता मियाचंद एवं तुलसीबाई [illegible] मियाचंद सभी जाति चमार निवासीयान बांसडा तद्समय तहसील वल्लभनगर के विरुद्ध [illegible] किया और अब यह प्रार्थना पत्र श्री नवला प्रतिवादी/प्रार्थी ने सिर्फ वादी/विपक्षी के [illegible] पेश किया है और अन्य प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया है तथा प्रतिवादी डालु [illegible] छगन इस नवला के सगे भाई है और प्रतिवादी श्रीमती तुलसीबाई नवला की सभी [illegible] है। इनको पक्षकार नहीं बनाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त भू[illegible] प्रतिवादी वरदा एवं प्रतिवादी [illegible], छगन के पिता और तुलसीबाई [illegible] मियाचंद ने वादी/विपक्षी उदयलाल [illegible] 14.03.1955 को बेच कर कब्जा [illegible] दिया, जिसका ज्ञान [illegible] वरदा [illegible] मियाचंद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री डालु, भेरू, छगन और [illegible] को और पडौसियान तथा हर आम-[illegible] है, क्योंकि यह भूमि ग्राम बाँसडा के बस स्टेण्ड के पास ही स्थित है, यानि कब्जा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:51:14 IST
Reason: SelfAttested

वादी/विपक्षी और उसके परिवारजनों का निरन्तर कब्जा आ रहा है। श्री ... ने न्यायालय के निर्णय डिक्री सन 1994 के बाद अपने नाम पर भूमि आने पर सन 1996 एवं सन 2014 में इस भूमि को कृषि भूमि से अकृषि आवासीय भूमि में परिवर्तित करवाई और इसके बाद अपने कुटुम्बजन श्रीमती प्यारीबाई पत्नि श्री चम्पालाल जैन, श्रीमती लीलाबाई पत्नि सुन्दरलाल जैन, श्रीमती शांतिबाई पत्नि श्री राजमल जैन एवं श्रीमती हेमलता पत्नि प्रकाश जैन को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान में दी, जिन्होंने दान में ली और इन चारों का सन 2022 से निरन्तर निराबाध कब्जा है जिससे भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान के तर्कों को सुना व बहस पर बगौर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों से पाया की विपक्षी/वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 24.08.1994 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 21.10.1994 को वाद स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर निर्णय दिनांक 21.10.1994 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

<u>आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में प्रावधान है कि</u> :—किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। परन्तु यह और कि ... न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी ... होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय ... एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मुल प्रकरण में जारी डिक्री को जाने का निवेदन किया हैं। मुल प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी/ वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट तहत वाद प्रस्तुत किया था जिसको 24.08.1994 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 21.10.1994 को वाद स्वीकार गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वाद डिक्री किये जाने के 29 वर्षों किया हैं तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का कोई नहीं किया गया हैं जिससे भी प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि प्रार्थी को कोर्ट की तारिख सूचना नहीं थी इस सम्बध में भी प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे की यह साबित हो की प्रार्थी की तामील नहीं हुई हैं। प्रकरण में मूल वाद में संख्या 3 से 6 प्रार्थी के भाई व माता हैं जिनको मूल वाद के प्रकरण की जानकारी बावजूद भी अनुपस्थित थे। इससे भी यह नहीं माना जा सकता की प्रार्थी को मूल प्रक जानकारी नहीं थी। मूल वाद दिनांक 21.10.1994 को स्वीकार कर डिक्री किया गया 29 वर्षों बाद प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी विपक्षी को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। 9 नियम 13 सी.पी.सी. में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी न्यायालय या यह समाधा जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्र केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्व योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूपप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया सहित अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:14 IST
Reason: SelfAttested